

इस कानून का जन्म विशाखा गाइडलाइन्स के कारण हुआ।

विशाखा गाइडलाइन्स

- भैवरी देवी नामक महिला के साथ कार्य निर्वहन के दौरान यौन उत्पीड़न की घटना हुई। इस सम्बन्ध में विशाखा व अन्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई।
- सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत के वर्तमान कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को संरक्षण देने में असफल है।
- अतः एक सुदृढ़ कानून की आवश्यकता है। लेकिन कानून की अनुपस्थिति में इस प्रकार के मामलों में सुनवाई के लिए और महिलाओं को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये।
- 2013 में इन्हीं दिशा-निर्देशों को आधार बनाते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिनियम बनाया गया।

अध्याय संख्या	विषय	धारा
1.	प्रारम्भिक	धाराएँ 1-3
2.	आन्तरिक शिकायत समिति	धारा 4
3.	स्थानीय शिकायत समिति	धारा 5-8
4.	शिकायत	धारा 9-11
5.	शिकायत की जाँच	धारा 12-18
6.	नियोक्ता के कर्तव्य	धारा 19
7.	जिला अधिकारी के कर्तव्य	धारा 20
8.	विविध	धारा 21-30

धारा संख्या	धारा का विषय	धारा संख्या	धारा का विषय
1.	क्षेत्र एवं प्रारम्भ	10.	समझौता
2.	परिभाषा	11.	जाँच
3.	यौन उत्पीड़न की रोकथाम	12.	जाँच लम्बित होने के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
4.	आन्तरिक शिकायत समिति	15.	क्षतिपूर्ति
5.	जिला अधिकारी की अधिसूचना	18.	अपील
6 और 7	स्थानीय शिकायत समिति	19.	नियोक्ता के कर्तव्य
8.	ग्रांट एवं अंकेक्षण	20.	जिला अधिकारी के कर्तव्य
9.	शिकायत	26.	जुर्माना

व्यथित महिला (धारा संख्या-2)

- (i) कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु वर्ग की महिला, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन (शिकायत) करती है, चाहे वह नियोजित है या नहीं।
- (ii) किसी निवास स्थान या घर के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास स्थान या घर में नियोजित हैं।

कर्मचारी (धारा संख्या-2)

- कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता (एजेन्ट) के माध्यम से स्थायी, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी या स्वैच्छिक या अन्यथा कार्य कर रहा है।
- इसमें सहकर्मि, संविदाकर्मि, परिवीक्षाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु आदि सम्मिलित हैं।

नियोक्ता

- (i) सरकारी विभाग आदि के सम्बन्ध में — कार्यालय अध्यक्ष
- (ii) निजी कार्यालयों के सम्बन्ध में : उस कार्यालय का इनचार्ज
- (iii) घरेलू कार्यों के सम्बन्ध : नौकरी पर रखने वाला व्यक्ति

कार्यस्थल

- (i) सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा स्थापित या वित्तपोषित कोई विभाग, कार्यालय, उद्यम, संस्था, शाखा, संगठन आदि।
- (ii) प्राइवेट सेक्टर या एन.जी.ओ. द्वारा स्थापित उद्यम, संगठन, संस्था, कार्यालय आदि।
- (iii) अस्पताल या परिचर्यागृह
- (iv) प्रशिक्षण, खेलकूद व इससे संबंधित स्थान (स्टेडियम आदि)।
- (v) कर्मचारी द्वारा कार्य के सिलसिले में विजिट स्थान एवं प्रयुक्त वाहन।
- (vi) कोई निवास स्थान या घर

तथा अंसंगठित क्षेत्र का ऐसा कोई उद्यम जहाँ 10 से कम कर्मचारी नियोजित हो।

लैंगिक उत्पीड़न

लैंगिक उत्पीड़न में निम्न अवांछनीय कार्य/व्यवहार सम्मिलित है—

- (i) शारीरिक सम्पर्क
- (ii) यौन अनुग्रह की माँग
- (iii) लैंगिक/अश्लील टिप्पणीयाँ
- (iv) अश्लील चित्रण/पोर्न दिखाना
- (v) अन्य लैंगिक/अश्लील प्रकृति का अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना।
- (vi) अन्य बातों के साथ निम्न भी यौन उत्पीड़न में सम्मिलित है —
 - वर्तमान रोजगार के सम्बन्ध में लाभ पहुँचाने का वादा करना या हानि पहुँचाने की धमकी देना।
 - भावी रोजगार के सम्बन्ध में सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार का वादा या धमकी।
 - कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करना।
 - ऐसा व्यवहार जिससे महिला का अपमान होता हो या उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो।
 - महिला के काम में रुकावटें पैदा करना।

आन्तरिक शिकायत समिति

- यदि किसी कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है तो ICC का गठन अनिवार्य है।
- समिति का गठन नियोक्ता द्वारा किया जाता है।
- नियोक्ता द्वारा वरिष्ठ महिला अधिकारी को पीठासीन अधिकारी घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। सदस्यों में से एक सदस्य किसी NGO से होता है। शेष दो, कर्मचारी हो सकते हैं।
- समिति में महिलाओं का बहुमत होना आवश्यक है। (कार्यकाल – 3 वर्ष)

स्थानीय शिकायत समिति (LCC)

- जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाता है। समिति में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र में महिला अधिकारों के लिए कार्य करने वाली प्रतिष्ठित महिला को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है।
- 1 सदस्य NGO से होना चाहिए। एक सदस्य स्थानीय महिला कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाता है। समिति में महिलाओं का बहुमत होना आवश्यक है।
- समिति में SC / ST / अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।
- पदेन सदस्य— जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित अधिकारी।
- कर्मचारियों द्वारा शिकायत ICC में की जाती है। लेकिन निम्न परिस्थितियों में शिकायत LCC को की जा सकती है –
 - (i) नियोक्ता द्वारा ICC का गठन न किया हो।
 - (ii) शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो।
 - (iii) घरों में काम करने वाली महिलाएँ।

लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद

- व्यथित महिला द्वारा घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर ICC को शिकायत अनिवार्य है, यदि ICC का गठन न हुआ हो तो LCC को शिकायत की जायेगी।
- ICC/LCC द्वारा इस अवधि को 3 मास तक और विस्तारित किया जा सकता है।
- यदि व्यथित महिला अपनी शारीरिक, मानसिक असमर्थता या मृत्यु या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस या अन्य विहित व्यक्ति परिवाद दर्ज करवा सकेगा।
- शिकायत/परिवाद लिखित में आवश्यक है।
- परिवाद में समय, तिथि, घटना का ब्यौरा, आरोपी का नाम आदि होना आवश्यक है।

समझौता

- जाँच प्रारम्भ होने से पूर्व महिला के आग्रह पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन इसका आधार आर्थिक नहीं हो सकता।
- समझौता होने पर एक रिपोर्ट नियोक्ता/जिला अधिकारी को भेज दी जाती है।

शिकायत की जाँच/सुनवाई

- समझौता ना होने पर जाँच प्रारम्भ होती है। दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है। सुनवाई के दौरान समिति को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होती हैं।
- ICC/LCC द्वारा जाँच पूरी होने के 10 दिन में नियोक्ता व जिलाधिकारी एवं संबंधित पक्षकारों को रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जायेगी।
- समिति को जाँच 90 दिन में पूरी करनी होती है।
- प्रत्यर्थी पर दोष साबित होने पर इसे सेवा नियमों के तहत कदाचार मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
- प्रत्यर्थी के वेतन से क्षतिपूर्ति की सिफारिश भी की जा सकती है।
- नियोजक/जिलाधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर कार्यवाही करेगा।

सुनवाई के दौरान एक्शन

- समिति निम्न की अनुशंसा कर सकती है –
 - (i) पीड़ित महिला को 90 दिन का अवकाश।
 - (ii) पीड़ित महिला का अन्य स्थान पर ट्रांसफर।
 - (iii) आरोपी का अन्य स्थान पर ट्रांसफर।
 - (iv) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।
- महिला को मानसिक या भावनात्मक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति दिलायी जा सकती है। इसकी वसूली अपराधी से की जाती है।

नियोक्ता के कर्तव्य (धारा संख्या-19)

- महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना।
- ICC का गठन करना।
- महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- यदि उत्पीड़ित महिला कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उसे यथासम्भव सहायता देना।
- कार्यस्थल पर उपयुक्त स्थानों पर जागरूकतापूर्ण संदेश लगाना।
- जाँच करने में समितियों की सहायता करना।

जिला अधिकारी के कर्तव्य (धारा संख्या – 20)

- मित्रतापूर्ण और सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध करवाना।
- LCC का गठन।
- महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- कार्य स्थल पर जागरूकता के संदेश प्रदर्शित करना।
- महिला को उचित सहायता प्रदान करना।

जुर्माना

- यदि नियोक्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है तो 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- दुबारा गलती करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है।

- यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ लेकिन इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया।
- इस कानून में 5 अध्याय व 37 धाराएँ हैं

अध्याय	विषय	धारा
1.	प्रारम्भिक	1-2
2.	घरेलू हिंसा	3
3	संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता आदि के कर्तव्य व शक्तियाँ	4-11
4.	राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया	12-29
5.	विविध	30-37

धारा संख्या	धारा का विषय	धारा संख्या	धारा का विषय
1	लघु शीर्षक, क्षेत्र एवं प्रारंभ		
2.	परिभाषा		
3	घरेलू हिंसा	18	संरक्षण आदेश
5	पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट आदि के कर्तव्य	19	निवास का आदेश
6	आश्रय स्थल के कर्तव्य	20	मौद्रिक राहत
7	चिकित्सा सुविधा के कर्तव्य	21	अभिरक्षण आदेश (कस्टडी ऑर्डर)
8 – 9	संरक्षण अधिकारी	22	क्षतिपूर्ति का आदेश
10	सेवा प्रदाता	29	अपील
12	मजिस्ट्रेट को आवेदन	31,33	संरक्षण आदेश न मानने पर जुर्माना
17	निवास का अधिकार		

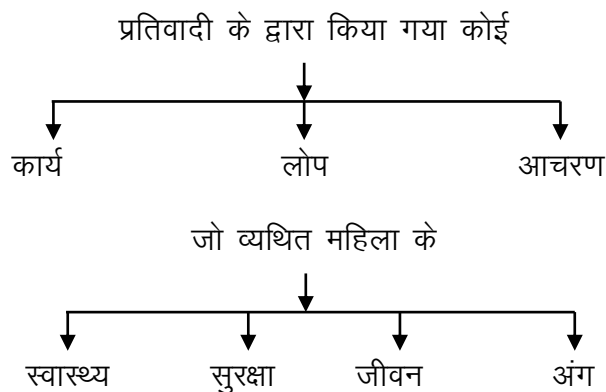
उत्पीडित महिला (व्यथित महिला)

किसी भी आयु वर्ग की महिला जो प्रतिवादी की घरेलू नातेदारी में है या रह चुकी है और जिसका आरोप है कि प्रतिवादी द्वारा वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है।

घरेलू नातेदारी

घरेलू नातेदारी ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं और वे रक्त संबंध, विवाह या दत्तक संबंध की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं। या संयुक्त परिवार में साथ रहने वाले परिवार के सदस्य।

घरेलू हिंसा (धारा संख्या-3)



की या उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है।

- **शारीरिक उत्पीड़न**
मारना, पीटना, अंगों को क्षति पहुँचाना।
- **यौन उत्पीड़न**
इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाना। ऐसा यौन कृत्य जिससे महिला का तिरस्कार होता हो, अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध।
- **आर्थिक उत्पीड़न**
परिवार की स्थिति व रीति-रिवाज के अनुसार जिन सुविधाओं/संसाधनों का उपभोग अन्य सदस्य कर रहे हो से महिला को वंचित करना। अथवा स्त्री धन छीन लेना या महिला को आय का उपयोग न करने देना। महिला को सम्पत्ति से निस्तारण करना भी आर्थिक उत्पीड़न है।
- **मानसिक उत्पीड़न**
दहेज न लाने, पुत्र संतान न होने, बच्चे न होने या किसी अन्य विषय में मौखिक उत्पीड़न करना।

घरेलू घटना रिपोर्ट

रिपोर्ट जो निर्धारित प्रारूप में व्यथित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त पर तैयार की गई हो।

प्रतिवादी

कोई वयस्क पुरुष जो व्यथित महिला की घरेलू नातेदारी में है या रहा है या पुरुष का कोई नातेदार जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने कोई अनुतोष चाहा है या शिकायत दर्ज करायी है, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी कहलायेगा।

साझी गृहस्थी

ऐसी गृहस्थी जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है और यह गृहस्थी व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व, किरायेदारी या संयुक्त परिवार के अंग के रूप में है।

सेवा प्रदाता

कोई NGO, सोसायटी, ट्रस्ट या अन्य संस्था जो राज्य सरकार के नियमों के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत है। (सेवा प्रदाता के वहीं कार्य हैं जो संरक्षण अधिकारी के हैं।)

संरक्षण अधिकारी

- सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।
- संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को उसके कार्य में सहायता करता है। उत्पीड़ित महिला द्वारा संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
- वह महिला की शिकायत दर्ज करने में सहायता करता है।
- वह महिला को चिकित्सा, आश्रय व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है।
- वह महिला को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है।
- संरक्षण अधिकारी डोमेस्टिक इंसिडेन्स रिपोर्ट तैयार करता एवं रिपोर्ट की प्रतियों को पुलिस अधिकारी एवं सेवा प्रदाता को अग्रेषित करता है।
- मजिस्ट्रेट द्वारा दिए अनुतोष आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाना।

सुनवाई की प्रक्रिया

- महिला द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत की जा सकती हैं हिंसा की जानकारी रखने वाला अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है।
- मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन में पहली सुनवाई आयोजित की जाएगी।
- सामान्यतः केस का निपटारा 60 दिन में किया जाता है। सुनवाई के दौरान किसी भी समय महिला को आरोपी को दोनों को एक्सपर्ट की सलाह लेने का आदेश दिया जा सकता है।
- सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

मजिस्ट्रेट निम्न आदेश पारित कर सकता है

1. संरक्षण आदेश

- यह एक निषेधात्मक आदेश है।
- भविष्य में हिंसा की सभी गतिविधियों पर रोक।
- आरोपी द्वारा महिला से सम्पर्क करने पर रोक।
- आरोपी द्वारा महिला के कार्यस्थल/शिक्षण स्थल पर जाने से रोक।
- आरोपी द्वारा सम्पत्ति, बैंक खाते, लॉकर आदि के निस्तारण पर रोक।
- महिला या सम्बन्धियों को धमकाने पर रोक।

2. निवास का आदेश

- सांझी गृहस्थी में रहना महिला का अधिकार है। इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता।
- आरोपी या उसके परिवार को घर के उस भाग में जाने से रोका जा सकता है जहाँ महिला रहती हो।
- आरोपी और उसके परिवार को घर खाली करने को कहा जा सकता है।
- महिला द्वारा समान सुविधाओं वाला घर किराये पर लिया जा सकता है। जिसका किराया आरोपी से वसूला जा सकता है।

3. मौद्रिक राहत

महिला व बच्चों के लिए किराया, चिकित्सा, शिक्षा व भरण पोषण के लिए आरोपी से धनराशि वसूली जा सकती है।

4. अभिरक्षण आदेश

महिला की याचिका पर बच्चों की कस्टडी महिला को दी जा सकती है। यदि आरोपी के बच्चों के मिलने से उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

5. क्षतिपूर्ति आदेश

महिला को आर्थिक हानि, आय की हानि और मानसिक व भावनात्मक उत्पीड़न के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिलायी जा सकती है।

सरकार के कर्तव्य

- अधिनियम के प्रावधानों को सोशल मीडिया, टी.वी., रेडियो, प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा प्रचार-प्रसार करना।
- अधिनियम के संबंध में विभिन्न अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के सदस्यों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना।
- विभिन्न मंत्रालयों के मध्य प्रभावी समन्वय।
- विभिन्न मंत्रालयों हेतु प्रोटोकॉल का निर्माण।

सजा

- यदि आरोपी संरक्षण आदेश का पालन नहीं करता है तो 20,000 रुपये तक जुर्माना और 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है।
- यदि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहता है तो उसे भी यह सजा दी जा सकती है।

POCSO Act

- यह कानून 2012 में पारित किया गया। इसे 14 नवम्बर 2012 को लागू किया गया।
- यह कानून 9 अध्याय और 46 धाराओं में बँटा हुआ है। यह कानून लैंगिक अपराधों के सम्बन्ध में शिकायत व सुनवाई की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह कानून सख्त सजाओं का प्रावधान करता है।

परिभाषाएँ

I. बालक

ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

II. साझी गृहस्थी

ऐसी गृहस्थी जहाँ आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है।

III. प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा – 3)

यदि कोई व्यक्ति

- अपना लिंग किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है या
- किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है या
- बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या किसी अन्य के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

IV. गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा – 5)

यदि प्रवेशन लैंगिक हमला निम्नांकित द्वारा किया जाये—

- पुलिस अधिकारी/कार्मिक, सशस्त्र बल का सदस्य, लोकसेवक, डॉक्टर, अस्पताल कार्मिक, शैक्षणिक संस्था एवं धार्मिक संस्था का कार्मिक, पीडित का नातेदार या घरेलू संबंधी हो, तो यह गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जायेगा।
- अन्य परिस्थितियाँ – यदि
 - प्रवेशन लैंगिक हमला सामूहिक रूप से किया जाये।
 - शारीरिक या मानसिक क्षति हो।
 - पीडित गर्भवती हो जाये।
 - गर्भवती होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला हो।
 - प्रवेशन लैंगिक हमले के समय बालक की आयु 12 वर्ष से कम हो।
 - मृत्यु हो जाये।
 - बालक पर अपराध की पुनरावर्ती।
 - हिंसा या प्राकृतिक आपदा के समय प्रवेशन लैंगिक हमला।

V. लैंगिक हमला (धारा-7)

जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क शामिल होता है, लैंगिक हमला कहलाता है।

VI. गुरुत्तर लैंगिक हमला

यदि लैंगिक हमला निम्नलिखित द्वारा किया जाये—

- (i) पुलिस अधिकारी/कार्मिक, सशस्त्र बल का सदस्य, लोकसेवक, डॉक्टर, अस्पताल कार्मिक, शैक्षणिक संस्था एवं धार्मिक संस्था का कार्मिक, पीडित का नातेदार या घरेलू संबंधी हो, तो यह गुरुत्तर लैंगिक हमला माना जायेगा।
- (ii) अन्य परिस्थितियाँ – यदि
 - प्रवेशन लैंगिक हमला सामूहिक रूप से किया जाये।
 - शारीरिक या मानसिक क्षति हो।
 - गर्भवती होते हुए लैंगिक हमला हो।
 - लैंगिक हमले के समय बालक की आयु 12 वर्ष से कम हो।
 - मृत्यु हो जाये।
 - हिंसा या प्राकृतिक आपदा के समय लैंगिक हमला।

VII. लैंगिक उत्पीडन (धारा-13)

कोई व्यक्ति यदि लैंगिक आशय से—

- शब्द, ध्वनि या इशारा करता है या
- किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है या
- बालक को अश्लील फिल्म / चित्रण दिखाता है या
- बालक का किसी भी माध्यम से निरंतर पीछा करता है या
- बालक के लैंगिक कृत्य में सम्मिलित होने के चित्रण के किसी भी रूप में उपयोग की धमकी या
- अश्लील प्रयोजन हेतु किसी बालक को प्रलोभन देना।

अश्लील प्रयोजन/उद्देश्य के लिए बालक का उपयोग

किसी बालक का टी.वी. चैनल/इंटरनेट या अन्य किसी प्रारूप में उपयोग करना जिसमें निम्न शामिल है—

- किसी बालक के जननांगों का प्रदर्शन करना।
- किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना।
- किसी बालक को अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना।

अपराध की रिपोर्ट करना

कोई व्यक्ति जिसको यह आशंका है कि इस Act के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि कोई ऐसा अपराध किया गया है तब वह निम्न को यह सूचना देगा—

- (i) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या
- (ii) स्थानीय पुलिस

विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना

त्वरित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार HC के मुख्य न्यायाधीश (CJ) के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला में इस Act के त्वरित प्रयोजन हेतु किसी सेशन कोर्ट को एक विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित करेगी।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ

- विशेष न्यायालय अपराध उपरांत परिवाद प्राप्त होने या पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकेगा।
- विशेष लोक अभियोजक बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सूचित करेगा।
- विशेष न्यायालय बालक हेतु मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा।
- बालक की गरिमा बनाए रखने की सुनिश्चितता।
- विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए।
- बालक की पहचान को गुप्त रखने की सुनिश्चितता।
- विशेष न्यायालय बालक को किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए पुनर्वास हेतु क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकेगा।

बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने की अवधि

- अपराध संज्ञान के 30 दिन के भीतर साक्ष्य को record किया जाएगा।
- विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध संज्ञान के 1 वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा करेगा।

बालक के कथनों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया (पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कर्तव्य)

- बालक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा बल्कि बालक के घर अथवा पसंदीदा स्थान पर।
- बालक से पूछताछ महिला SI या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- बालक के माता-पिता या जिस पर बालक विश्वास करे के समक्ष रिकॉर्ड लिया जाएगा।
- साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त से संपर्क न हो, की सुनिश्चितता।
- बालक का साक्ष्य लेते समय किसी दुभाषिए या विशेषज्ञ की सहायता की जा सकती है।
- किसी भी कारण से बालक को रात में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध न किया जाये।
- बच्चे से आपत्तिजनक या आक्रामक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
- यदि बच्चे की चिकित्सा जाँच अनिवार्य हो तो वह संरक्षक की उपस्थिति में की जाएगी। और केवल महिला चिकित्सक ही जाँच करेगी।

नोट :

- सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। यदि मीडियाकर्मी पहचान उजागर करता है तो उसे और सम्पादक को 6 माह का कारावास दिया जा सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ हुए अपराध की जानकारी हो ओर वह इसकी सूचना ना दे तो 6 महिने की जेल की सजा दी जा सकती है।
- यदि यह अपराध स्कूल/आश्रयस्थल आदि के संचालक द्वारा किया जाता है तो 1 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है।

भाग संख्या	विषय	विवरण
3	प्रवेशन लैंगिक हमला	—
4	उपर्युक्त की सजा	- न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास अधिकतम आजीवन कारावास + जुर्माना - यदि बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम हो तो न्यूनतम 20 वर्ष - आजीवन कारावास – मृत्यु तक
5	गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला	—
6	उपर्युक्त की सजा	न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास व अधिकतम आजीवन कारावास मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता है।
7	लैंगिक हमला	—
8	उपर्युक्त की सजा	3 से 5 साल की जेल
9	गुरुत्तर लैंगिक हमला	—
10	उपर्युक्त की सजा	न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष
11	यौन उत्पीडन	—
12	उपर्युक्त की सजा	3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना
13	बच्चे का पोर्नोग्राफीक उद्देश्यों के लिए प्रयोग	—
14	उपर्युक्त की सजा	न्यूनतम 5 वर्ष, दोबारा अपराध सिद्ध होने पर न्यूनतम 7 वर्ष
15	अश्लील सामग्री का भण्डारण - सामग्री मिटाने में असफल रहना। 5000 रु. जुर्माना - प्रसार के लिए सामग्री। - व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सामग्री रखना।	5000 रु. न्यूनतम जुर्माना 3 वर्ष तक का कारावास 3–5 वर्ष की जेल

- उपर्युक्त सभी अपराधों में कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- सामूहिक अपराध में शामिल सभी अपराधियों को एक समान सजा दी जाएगी।
- अपराध में सहयता करने या अपराध के लिए भड़काने पर भी समान सजा का प्रावधान है।
- अपराध के लिए स्थान उपलब्ध करवाने वाले को भी समान सजा दी जायेगी।
- इन अपराधों के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराने के लिए पोक्सो बॉक्स की स्थापना की गई।

- भारत में बालश्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इस कानून में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ विशिष्ट/जोखिम भरे कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए रखने की अनुमति दी। बच्चे के कार्यदशाओं का नियमन सरकार द्वारा किया जाता था।
- 2009 में भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया।
- उपर्युक्त दोनों कानूनों के प्रावधान विरोधभासी हो गये। इसलिए 2016 में बालश्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया।
- **संशोधन के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दो श्रेणियाँ में बाँटा गया –**
 - (i) **बालक** : 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बालक की संज्ञा दी गई।
 - (ii) **किशोर** : 14 वर्ष से बड़े लेकिन 18 वर्ष से छोटे व्यक्तियों को किशोर की श्रेणी में रखा गया।
- बालकों के कार्य करने पर पूर्ण रोक लगा दी गई।
- लेकिन निम्न परिस्थितियों में बालक कार्य कर सकते हैं—
 - स्कूल के बाद बच्चा अपने परिवार की पारिवारिक व्यवसाय में सहायता कर सकता है।
 - बच्चा कलात्मक प्रकृति के कार्य कर सकता है। **जैसे :-** एक्टिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग, में भाग लेना।
 - लेकिन सर्कस में कार्य करना प्रतिबंधित है।
- उपर्युक्त कार्यों के कारण उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- किशोर को खतरनाक कार्य पर रखना प्रतिबंधित है।
- सरकार इनकी कार्यदशाओं का नियमन करेगी।

बालकों हेतु कार्य के घंटे और कालावधि (अधिनियम की धारा-7)

- किशोर विश्राम अवधि सहित एक दिन में छह घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।
- किशोर से एक बार में 3 घंटे की कालावधि से अधिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। एक घंटे का विश्राम लेने के पश्चात् ही शेष कालावधि का कार्य करेगा।
- किशोर को सायं 7 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य कार्य हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा।
- किशोर से ऑवर टाइम नहीं करवाया जाएगा।
- किशोर को सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश जरूरी होगा।

तकनीकी सलाहकार समिति

अधिनियम की धारा 5 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति जिसमें एक अध्यक्ष और दस से अनधिक सदस्य होंगे, का गठन करेगी जो केन्द्र सरकार को अनुसूची में खतरनाक उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ने के लिए सलाह देगी।

जुर्माना

- यदि बच्चे को काम करवाने के दोषी माता-पिता हो तो प्रथम बार बिना जुर्माने के छोड़ दिया जाता है। दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वह व्यक्ति जो बच्चे को काम पर रखता है या किशोर से खतरनाक कार्य करवाता है तो 20,000–50,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है।
- बालश्रम की शिकायतें दर्ज कराने के लिए सरकार द्वारा Pencil Platform बनाया गया है।

PLATFORM FOR EFFECTIVE ENFORCEMENT OF NO CHILD LABOUR (PENCIL)

- सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए बालश्रम पुनर्वास निधि की स्थापना की गई। मुक्त कराए गए प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए सरकार द्वारा 15000 रुपये की धनराशि जमा करवायी जाती है। इसके साथ जुर्माने की राशि भी जमा करवायी जाती है।